न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
15 / 2023	दावा88RTA	27.01.2023	05.10.2023

बहादूरसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपूत निवासी धीरासर शेखावतान तहसील व जिला चूरू
—वादी—

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चूरू

—प्रतिवादीगण—

दावा अन्तर्गत धारा 88आर.टी.ए.

उपस्थित — 1. अधिवक्ता श्री ऋषिराजसिंह शेखावत वादी
2. पैरोकार राज

निर्णय

वादी की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि ख. नं. 220 / 126, 221 / 42, 226 / 76 रोही धीरासर शेखावतान वादी की कब्जा एवं काश्त की भूमि है प्रमाण स्वरूप जामबंदी सम्वत् 2070 से 2073 की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ प्रस्तुत है। वादी के पिता लूण सिंह के स्वर्गवास के पश्चात् विरासतन तौर पर इंतकाल जमाबंदी में वादी का नाम बहादूरसिंह की बजाय भादरसिंह गलत दर्ज कर दिया गया, जिसे दूरूस्त करवाने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी के तमाम दस्तावेजों में बहादूरसिंह पूत्र लूणसिंह दर्ज है। भादरसिंह नाम का कोई अन्य लूणसिंह का वारिस नहीं है। जिसे दुरूस्त करवाने के लिए यह दावा पेश किया जा रहा है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम भादरसिंह की बजाय बहादूरसिंह किये जाने पर किसी को कोई हानि होने की संभावना नहीं है। प्रतिवादीगण को दुरूस्त करवाने के लिए कहा गया जिसके लिए पहले टाल मटोल करते रहे तथा दिनांक 11.01.2023 ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया यह तारीख विनाय मुखास्मत दावा है तथा विनाय दावा वादी को भूमि मजकूर का नियमानुसार खातेदार काश्तकार होने से प्राप्त होने से प्राप्त है। राजस्थान सरकार को दावा में तकमिलन पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है। इसलिए 80 सी.पी.सी. का नोटिस नहीं दिया गया है। दावा निम्नानुसार डिक्री फरमाया जावे।

क घोषित किया जावे कृषि भूमि ख. नं. 220 / 126, 221 / 42, 226 / 76 रोही धीरासर शेखावतान तहसील व जिला चूरू भादरसिंह पुत्र लूणसिंह की बजाय बहादुरसिंह पूत्र लूणसिंह घोषित किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया दावा नाम दुरूस्ती का होने से तहसीलदार चूरू से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चूरू की ओर से जवाब प्रस्तुत न कर जांच रिपोर्ट मंगवाई। तहसीलदार चूरू से [illegible] अधिवक्ता वादी के निवेदन पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता वादी की ओर [illegible] को दोहराते हुए वादी का नाम कृषि भूमि ख. नं. 220 / 126, 221 / 42, 226 / 76 रोही धीरासर शेखावतान तहसील व जिला चूरू में अन्य रिकॉर्ड के मुताबिक भादरसिंह पुत्र लूणसिंह की बजाय बहादुरसिंह पूत्र लूणसिंह घोषित किया जावे एवं इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:31 IST
Reason: SelfAttested

बहस सुनी जाकर पत्रावली व पत्रावली पर पेश दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।तहसीलदार चूरू की रिपोर्ट के मुताबिक मौका जांच के अनुसार भादरसिंह पुत्र लूणसिंह व बहादुरसिंह पुत्र लूणसिंह निवासी धीरासर शेखावतान एक व्यक्ति के दो नाम है तथा रिकॉर्ड के अनुसार बहादुरसिंह पुत्र लूणसिंह ही सही है एवं वास्तविक नाम है तथा इस नाम व वल्दियत का इस गांव में अन्य कोई व्यक्ति नहीं है तथा तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्धि की अनुशंषा की है। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से भी उक्त तथ्य की पुष्टि होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं रिपार्ट पटवारी एवं तहसीलदार के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 220/126, 221/42, 226/76 रोही धीरासर शेखावतान तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में भादरसिंह पुत्र लूणसिंह की बजाय बहादुरसिंह उर्फ भादरसिंह पूत्र लूणसिंह घोषित किया जाता है शेष यथावत रहेगा। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : श्री अनिल कुमार, आर.ए.एस.

बहादूरसिंह पुत्र लूणसिंह जाति राजपूत निवासी धीरासर शेखावतान तहसील व जिला चूरू

–वादी–

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 15सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री ऋषिराजसिंह शेखावत एडवोकेटवादीगण मिनजानिब मुदईब पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात् एवं रिपार्ट पटवारी एवं तहसीलदार के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ख. नं. 220/126, 221/42, 226/76 रोही धीरासर शेखावतान तहसील व जिला चूरू के राजस्व रिकॉर्ड में भादरसिंह पुत्र लूणसिंह की बजाय बहादुरसिंह उर्फ भादरसिंह पूत्र लूणसिंह घोषित किया जाता है शेष इन्द्राज यथावत रहेगा। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 05 माह अक्टूरसन् 2023 को जारी की गई।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2024.02.23 14:30:31 IST
Reason: SelfAttested